संख्या 3800/7–क–2–664–55
लखनऊ, 15 सितम्बर, 1973

अधिसूचनायें

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 (अधिनियम संख्या 25, 1955) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973 कहलायेगी।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रयुक्त होगी जिसे राज्य सरकार ....में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

परिभाषायें

2–जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 25, 1955) से है,

(ख) "महानिरीक्षक" का तात्पर्य हिन्दू विवाह अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण के महानिरीक्षक से है,

(ग) "विवाह" का तात्पर्य किसी ऐसे हिन्दू विवाह से है जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो,

(घ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन अधिकारितायुक्त हिन्दू विवाह के रजिस्ट्रार से है।

(ङ) "जिला रजिस्ट्रार" का तात्पर्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) की धारा 6 के अधीन नियुक्त जिले के रजिस्ट्रार से है और इसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 10 और 11 के अधीन रजिस्ट्रार का कार्य करने वाला अधिकारी भी है,

(च) "उप–रजिस्ट्रार" का तात्पर्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, 1908) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उप रजिस्ट्रार से है और इसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथानियुक्त व्यक्ति भी है।

विवाह रजिस्ट्रार की नियुक्ति

3–इस नियमावली के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक उप रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के भीतर और प्रत्येक जिला रजिस्ट्रार जिले के भीतर हिन्दू विवाह रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

4–(1) किसी विवाह के पक्षकार, नियम 10 में निर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर, अपने विवाह के सम्बद्ध ब्यौरे को रजिस्ट्रार के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गये हिन्दू विवाह रजिस्टर में दर्ज करवा सकते हैं।

(2) विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र दो प्रतिलिपियों में, उस रजिस्ट्रार को दिया जायेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर विवाह संस्कार कराया जाय अथवा जिसकी अधिकारिता के भीतर पति स्थायी रूप से रहता हो और वह इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के प्रपत्र 'क' में होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदन–पत्र उस रजिस्ट्रार को दिया जाय जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर विवाह संस्कार कराया गया हो और पति ऐसी अधिकारिता के भीतर स्थायी रूप से न रहता हो, तो वह तीन प्रतियों में दिया जायेगा और आवेदन–पत्र की तीसरी प्रति आवेदन–पत्र प्राप्त करने वाले रजिस्ट्रार द्वारा उस रजिस्ट्रार को जिसकी अधिकारिता के भीतर पति स्थायी रूप से रहता हो, अग्रसारित की जायेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन–पत्र सामान्यतया अधिकारिता युक्त उप रजिस्ट्रार को दिया जायेगा, किन्तु जिला रजिस्ट्रार भी, स्वविवेकानुसार, ऐसे किसी आवेदक–पत्र को ले सकता है।

(3) उपनियम(2) में उल्लिखित आवेदन–पत्र के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी, गांव सभा के प्रधान, न्याय पंचायत के सरपंच, क्षेत्र समिति के प्रमुख या किसी अन्य स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का और यदि विवाह का कोई पक्षकार भारत के बाहर रहता हो तो भारतीय कौंन्सल या उप–कौन्सल का, विवाह के पक्षकारों की पहचान तथा आवेदन–पत्र में आये हुये अन्य ब्योरों की शुद्धता के सम्बद्ध में एक प्रमाण–पत्र होगा और उसे सम्बद्ध रजिस्ट्रार को या तो स्वयं दिया जायेगा या उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जायेगा।

(4) यदि आवेदन–पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाय तो फीस प्रेषक के व्यय पर मनीआर्डर द्वारा भेजी जायेगी। और जिसे डाकघर से धन प्रेषित किया जाय, उसके द्वारा प्रेषक को दी गयी रसीद आवेदन–पत्र के साथ नत्थी कर दी जायेगी।

हिन्दू विवाह का रजिस्टर

5–(1) हिन्दू विवाह का रजिस्टर फाइल पुस्तिका के रूप में रखा जायेगा जिसमें क्रमवार संख्यकिन सादे सिरे (वट्स) होंगे।

(2) रजिस्ट्रार प्रत्येक ऐसे सादे रजिस्टर के जो उसे जारी किया गया हो, मुख्य पृष्ठ पर, प्रत्येक ऐसे रजिस्टर में वस्तुतः अन्तयिष्ट पृष्ठों की संख्या को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा और उस पर रजिस्टर प्राप्त होने का दिनांक भी लिखेगा।

(3) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर, रजिस्ट्रार उस वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत–आवेदन–पत्रों की संख्या प्रमाणित करेगा और जब कभी कोई रजिस्टर भर जाय तो रजिस्ट्रार उस विशेष रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत आवेदन–पत्रों की संख्या भी प्रमाणित करेगा।

(1) रजिस्ट्रार द्वारा प्रयुक्त रजिस्टरों पर क्रमवार संख्या डाली जायेगी।

आवेदन–पत्रों को नत्थी करना

6–रजिस्ट्रार नियम–4 के अधीन यथाविधि दिये गये प्रत्येक आवेदन–पत्रा को हिन्दू विवाह के रजिस्टर में, प्रथमतः उपलब्ध सादे सिरे (बट) पर चिपकाकर नत्थरी करेगा।

आवेदन–पत्रों का पृष्ठांकन

7–(1) रजिस्ट्रार प्रत्येक आवेदन–पत्र और उसकी दूसरी प्रतिलिपि को तथा जहाँ कहीं उसकी तृतीय प्रतिलिपि अपेक्षित हो, उसकी दूसरी तरफ निम्नलिखित पृष्ठांकन के साथ तथा उस पर यथाविधि हस्ताक्षर करके पृष्ठांकित करेगा अर्थात :–

"आवेदन–पत्र मैंने दिनांक.....197.....को प्राप्त किया, और उसे उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1973 के अधीन रखे गये हिन्दू विवाह के रजिस्टर के खण्ड.....के पृष्ठ..... पर कम संख्या..... 197.....पर नत्थी किया गया है।"

दिनांक :

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार
हिन्दू विवाह

(2) रजिस्ट्रार, आवेदकों का यथाशीर्घ लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि उनका विवाह यथाविधि दर्ज कर लिया गया है।

दूसरी प्रतिलिपि

8–प्रत्येक माह के सातवें दिनांक को अथवा उसके पब उप रजिस्ट्रार पिछले माह के दौरान प्राप्त सभी आवेदन–पत्रों की द्वितीय (डुप्लीकेट) प्रतिलिपियॉ, एक उपरि–पत्र के साथ जिसमें उन आवेदन–पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियों की कम संख्या इंगित की जायेगी जो साथ भेजे गये हों, जिला रजिस्ट्रार को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगा और यदि पिछले माह में कोई आवेदन–पत्र प्राप्त न हुआ हो, यह इंगित करते हुए कि कोई आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, एक पत्र भेजेगा।

जिला रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन–पत्रों का नत्थी किया जाना

9–नियम 8 के अधीन भेजे गये आवेदन–पत्रों की द्वितीय प्रतिलिपियॉ प्राप्त होने पर जिला रजिस्ट्रार ऐसी द्वितीय प्रतिलिपियों को रजिस्ट्रार द्वारा तदर्थ रखे गये रजिस्टरों में चिपका कर नत्थी करेगा अथवा नत्थी करायेगा।

फीस

10–(1) विवाह के रजिस्ट्रीकरण के निमित्त आवेदन–पत्र ग्रहण करने के लिए फीसः–

(।) दो रुपये होगी, यदि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र विवाह संस्कार होने के दिनांक से दो माह के भीतर किया जाय, और

(।।) चार रुपये होगा, यदि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र विवाह संस्कार होने के दिनांक से दो माह के पश्चात् दिया जाय, और वह रजिस्ट्रार को या तो नकद दी जायेगी अथवा मनीआर्डर द्वारा भेजी जायेगी।

(2) रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जनरल को आवेदन–पत्र दिये जाने और दो रुपये की फीस का भुगतान करने पर वह हिन्दू विवाह के रजिस्टर से प्रमाणित उद्धरण देगा।

(3) खोज करने के लिए फीस–

(1) एक रुपये होगी, यदि प्रविष्टि चालू वर्ष के सम्बन्ध में हो,

(2) एक रुपये पचास पैसे होगी, यदि प्रविष्टि उससे पूर्व वर्ष के सम्बन्ध में हो, और इसी प्रकार, प्रत्येक वर्ष के लिए पचास पैसे की अतिरिक्त फीस होगी।

रसीद का रूप–पत्र

11–इस नियमावली के अधीन दी गयी फीस की प्राप्ति स्वीकार करने के लिए रजिस्ट्रेशन मैनुअल भाग–2 से परिशिष्ट 1 के प्रपत्र संख्या 8 में दी गयी रसीद बही से एक रसीद जारी की जायेगी।

रोकड़ बही

12–रजिस्ट्रार अनुसूची के प्रपत्र–ख से एक रोकड़ बही रखेगा अथवा रखवायेगा। नियमावली के अधीन प्राप्त सभी फीस प्रतिदिन रोकड़ बही में लिखी जायेगी और रजिस्ट्रार दिन भर में फीस की कुल वसूली की शुद्धता का सत्यापन करने के प्रतीक स्वरूप उस पर हस्ताक्षर करेगा।

रजिस्ट्रार की शक्तियाँ

13–(1) यदि नियम–4 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्र किसी प्रकार अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण हो अथवा यदि हिन्दू विवाह रजिस्टर से किसी प्रमाणित उद्धरण के लिए आवेदन–पत्र के साथ नियम 10 में निर्दिष्ट फीस न भेजी गयी हो तो रजिस्ट्रार विवाह के पक्षकारों से ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, यथास्थिति, त्रुटिपूर्ण को ठीक करने या उक्त फीस का भुगतान करने की अपेक्षा करेगा। ऐसा न करने पर आवेदन–पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(2) यदि ऐसा आवेदन–पत्र प्राप्त करने वाले रजिस्ट्रार को उसे प्राप्त करने की अधिकारिता न हो तो वह उसे आवेदक को समुचित प्राधिकारों को प्रस्तुत करने के लिए लौटा देगा।

(3) यदि उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन–पत्र पर कोई आपत्ति प्राप्त करता है तो वह उसे जिला रजिस्ट्रार को भेज देगा जो उस पर तथा अपने द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय देगा तथा उसका निर्णय, जहाँ तक रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन–पत्र पर कार्यवाही करने का प्रश्न है, किसी सक्षम न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(4) ऐसे समस्त आवेदन–पत्रों के, जो वापस कर दिये जायें या जिसका रजिस्ट्रीकरण पूर्वोक्तानुसार अस्वीकार कर दिया जाय, ब्यौरे इन नियमों से संलग्न अनुसूची के प्रपत्र 'ग' के रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे।

अधीक्षण

14–रजिस्ट्रार अपने कर्त्तव्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण जो पदेन, राज्य भर के लिए हिन्दू विवाहों के महा–रजिस्ट्रार होंगे, के सामान्य अधीक्षण के अधीन करेगा।

प्रपत्र

15–रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र के सादे प्रपत्र विवाह के पक्षकारों को निःशुल्क दिये जायेंगे। पक्षकार अपने विकल्प पर साक्ष्य टंकित प्रपत्रों का प्रयोग कर सकते हैं।

रजिस्टरों तथा अभिलेखों का रखा जाना

16–(1) हिन्दू विवाह रजिस्टर तथा नियम 17 में निर्दिष्ट अनुक्रमणिकायें भर जाने के छः वर्ष के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण जिले के मुख्यालय पर केन्द्रीय अभिलेख कक्ष को भेज दिये जायेंगे और वहाँ पर स्थायी रूप से रखे जायेंगे।

(2) सभी अन्य अभिलेख तथा पत्रादि जैसे कि रसीद, बही, रोकड़ बही, रजिस्टार से उद्धरण के लिए आवेदन–पत्र आदि छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा नष्ट कर दिये जायेंगे।

विवाह–रजिस्टर में प्रविष्टियों की अनुक्रमणी बनाना

17–हिन्दू विवाह रजिस्टर में सभी प्रविष्टियों की अनुक्रमणी बनायी जायेगी और अनुक्रमणिकायें दो रूप में होंगी, अर्थात् एक वर के नाम से और दूसरी वधू के नाम से, और ऐसी अनुक्रमणिका प्रतिवर्ष के अभिलेख के लिए पचास पैसे निरीक्षण फीस देने पर किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

अनुसूची

प्रपत्र 'क'

उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973 का नियम 4(2) देखिये।

हिन्दू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

रजिस्ट्रार हिन्दू विवाह

....

...............................जिला

उत्तर प्रदेश।

महोदय,

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार हमारा, अधोहस्ताक्षरी पक्षकारों का, हिन्दू विवाह संस्कार दिनांक..............को कराया गया है और हम अनुरोध करते हैं कि हमारे विवाह के निम्नलिखित ब्यौरे हिन्दू विवाह रजिस्टर में दर्ज कर लिये जायें :–

विवाह का ब्यौरा

1. विवाह का दिनांक..
2 विवाह का स्थान (पर्याप्त ब्यौरे सहित जिससे कि स्थान का पता चल सके)..........................
   ....
3. वर का ब्यौरा–
   (क) पूरा नाम तथा व्यवसाय ....
   (ख) अधिवास (डोमीसाइल)...
   (ग) आयु (जो 18 वर्ष से कम न होगी : देखिये धारा–5) ....
   (घ) सामान्य निवास स्थान..
   (ङ) स्थायी पता...
   (च) आवेदन–पत्र देने के समय पता..
   (छ) विवाह के समय प्रास्थिति, क्या–
   अविवाहित / विधुर / विवाह–विछिन्न हैं

दिनांक : वर के हस्ताक्षर

4. वधू का ब्यौरा–
   (क) पूरा नाम...
   (ख) अधिवास..
   (ग) आयु (जो 15 वर्ष से कम न होगी : देखिये धारा–5) ....
   (घ) सामान्य निवास स्थान..
   (ङ) स्थायी पता...
   (च) आवेदन–पत्र देने के समय पता..
   (छ) विवाह के समय प्रास्थिति, क्या–

अविवाहित / विधुर / विवाह–विछिन्न हैं

दिनांक : वधू के हस्ताक्षर

5. वर के पिता का पूरा ब्यौरा–
(क) पूरा नाम.....
(ख) आयु.....
(ग) व्यवसाय ....(घ) सामान्य निवास स्थान....
.....
(ङ) आवेदन–पत्र देने के समय पता.....
(च) जीवित हैं अथवा मृत.....

दिनांक : वर के पिता के हस्ताक्षर
नोट :– वर के पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं।

6. वधू के पिता या अन्य संरक्षक का पूरा ब्यौरा–
(क) पूरा नाम.....
(ख) आयु.....
(ग) व्यवसाय ....(घ) सामान्य निवास स्थान....
.....
.....
(ङ) आवेदन–पत्र देने के समय पता.....
(च) वधू के संरक्षक का सम्बन्ध (देखिये धारा 6).....

दिनांक : वधू के पिता / संरक्षक के हस्ताक्षर
नोटः– (वधू के पिता के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है यदि वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो, परन्तु उसके पिता अथवा अन्य संरक्षक के हस्ताक्षर अन्य दशाओं में अनिवार्य हो)

7. कार्यवाहक पुरोहित का ब्यौरा
(क) पूरा नाम.....
(ख) आयु.....
(ग) सामान्य निवास स्थान.....
(घ) पता.....
अवधेय– यदि विवाह आवदेन–पत्र देने के दिनांक से एक वर्ष के पूर्व हुआ हो तो कार्यवाहक पुरोहित के ब्यौरे दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। पुरोहित के हस्ताक्षर होना अनिवार्य नहीं है।
दिनांक – कार्यवाहक पुरोहित के हस्ताक्षर

घोषणा–मैं, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषित करता / करती हूँ कि इस आवेदन–पत्र में दिये गये विवरण जहाँ तक उनका सम्बन्ध मुझसे और विवाह सम्पादन से है, मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है और शेष प्राप्त सूचना पर आधारित है जिसे मैं सत्य समझता / समझती हूँ।

8. वर के हस्ताक्षर वधू के हस्ताक्षर
दिनांक दिनांक

9. –1–साक्षी : 2–साक्षी

(क) पूरा नाम
(ख) पता
हस्ताक्षर
दिनांक

(क) पूरा नाम
(ख) पता
हस्ताक्षर
दिनांक

वर तथा वधू की पहिचान और इस आवेदन–पत्र के अन्य ब्यौरे के लिए श्री..... .....(पदनाम)..... (जो राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/ सरपंच/प्रमुख/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष/काउंसेल/उप काउंसेल हो) द्वारा प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है।

टिप्पणी–यदि एक अधिकारी दोनों पक्षकारों की पहिचान या समस्त अन्य ब्यौरे को प्रमाणित नहीं कर सकता है तो एक से अधिक ऐसे अधिकारी का प्रमाण–पत्र दिया जा सकता है।

प्रपत्र–ख

(उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973 का नियम–12 देखिये)

रोकड़ बही

रसीद संख्या और वसूली का दिनांक	वसूल की गयी धनराशि का ब्यौरा	धनराशि रु0 पै0	विवाह रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और दिनांक	कोषागार में जमा की गयी धनराशि रु0 पै0	चालान संख्या और दिनांक	विवाह रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–ग

(उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973 का नियम–13 देखिये)

वापस या अस्वीकार किये गये आवेदन–पत्रों का रजिस्टर

कम संख्या	आवेदन–पत्र देने का दिनांक तथा उसे देने वाले व्यक्ति का नाम	विवाह के पक्षकार तथा विवाह का दिनांक	अस्वीकृत या वापस की गयी	अस्वीकृति या वापसी के कारण
1	2	3	4	5

सं0 3804/सति–अ0न0–654–55

लखनऊ, 15 सितम्बर, 1973

उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1973 का नियम–1 के उप नियम(3) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय 2 अक्टूबर 1973 को ऐसा दिनांक निश्चित करते हैं जब से उपरोक्त नियमावली प्रवृत्त होगी।